न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.

राजस्व वाद पत्र संख्या– 26/2018

वादी:–

मांगीलाल पुत्र श्री गोकलराम जाति माली निवासी परोयों की ढाणी कोसाना तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :–

भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 27.03.2018

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट पेश किया हैं कि ग्राम बुचकला के ख.न. 368, 369, 370, 373 जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी के स्वंय का नाम मंगाराम पुत्र गोकलराम दर्ज है जो कि गलत हैं। मेरा वास्तविक नाम मांगीलाल पुत्र गोकलराम हैं । वादी के सभी दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायराभामाशाह कार्ड, पैन कार्ड अनुसार वादी का नाम मांगीलाल पुत्र गोकलराम दर्ज हैं । जिसे रेकर्ड में सही करावे।

हमने राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया । इस सम्बन्ध में तहसीलदार पीपाड़ शहर से जबाद प्राप्त किया जिन्होने बताया कि ग्राम बुचकला के ख.न. 368, 369, 370, 373 भूमि में वादी का नाम मंगाराम पुत्र गोकलराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र गोकलराम किया जाता है तो तहसीलदार पीपाड शहर को कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं ।

अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व **ग्राम बुचकला के ख.न. 368, 369, 370, 373** में **मंगाराम पुत्र गोकलराम** के स्थान पर दुरूस्त कर **मांगीलाल पुत्र गोकलराम** दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 27.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर